प्रेस नोट
दिनांक 07.02.2025

50,000/- का इनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा थाना परसपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-486/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 50,000/- रू0 के इनामिया गैंगस्टर रितिक सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र नंदपाल सिंह को पीके ब्रदर्स फैक्ट्री, 124 राजा बाला बाग, देवी भवन मंदिर के पीछे, थाना शहर जगाधरी, जनपद यमुनानगर (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.12.2025 को थानाध्यक्ष परसपुर के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण/चेकिंग के दौरान जनता से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त शनि पुत्र रामशंकर निवासी मरचौर अपने साथियों रिजवान, रितिक उर्फ बिल्लू, मलखान सिंह व योगेश के द्वारा संगठित गिरोह संचालित किया जा रहा है। उक्त गिरोह समाज में भय बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु नकबजनी व चोरी जैसे अपराध कारित करता है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त रितिक सिंह उर्फ बिल्लू गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा अभियुक्त रितिक सिंह उर्फ बिल्लू की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 50,000/-का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 06.02.2026 को एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा 50,000/- रू0 के इनामिया शातिर गैंगस्टर रितिक सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र नंदपाल सिंह को पीके ब्रदर्स फैक्ट्री, 124 राजा बाला बाग, देवी भवन मंदिर के पीछे, थाना शहर जगाधरी, जनपद यमुनानगर (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रितिक सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र नंदपाल सिंह, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी कालीसिंह पुरवा, मधईपुर खण्डेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-486/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. निरीक्षक ओमशंकर शुक्ला एसटीएफ लखनऊ
02. उ0नि0 प्रताप नारायण सिंह
03. हे0का0 दिलीप कुमार
04. हे0का0 कुलदीप सिंह
05. हे0का0 शिवभोला
06. हे0का0 गिरजाशंकर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.02.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड, शातिर चोर की गिरफ्तारी, बालअपचारी की पुलिस अभिरक्षा व 09 अदद चोरी की मोटरसाईकिलो के बरामदगी के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान शातिर वाहन चोर राजा निषाद पुत्र दीनानाथ निषाद नि0 नये पुरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा व विधि विरूद्ध किशोर को किशुनदासपुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 09 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.02.2026 की रात्रि थाना नवाबगंज के उ0नि0 विभव सिंह व उ0नि0 संजीव सिंह मय टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण शील होकर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि किशुनदासपुर क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोरो राजा निषाद व विधि विरूद्ध किशोर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल उन्होंने दिनांक 02.01.2026 को रामघाट रेलवे स्टेशन से चोरी की थी। गहन पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा और भी मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात स्वीकार की गई तथा उनकी निशानदेही पर टिकरी जंगल के झाड़ियो से 08 अदद अन्य चोरी की मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त राजा निषाद तथा विधि विरुद्ध किशोर द्वारा बताया गया कि वह लोग सुनसान स्थानों, रेलवे स्टेशन, भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों तथा धार्मिक स्थलों के आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते हैं। मौका पाकर लॉक तोड़कर या मास्टर चाबी से वाहन चोरी कर लेते हैं। चोरी के बाद तत्काल नंबर प्लेट निकाल देते हैं ताकि पहचान न हो सके। पकड़ी गयी मोटरसाइकिल के संबंध में उन्होने स्वीकार किया कि उसे दिनांक 02.01.2026 को रामघाट रेलवे स्टेशन, अयोध्या के पास से चोरी किया था। दोनों ने आगे बताया कि वे लोग चोरी की गयी मोटरसाइकिलों को तुरंत नहीं बेचते थे, बल्कि पुलिस से बचने के लिए पहले उन्हें टिकरी जंगल जैसे सुनसान व सुरक्षित स्थानों पर छिपाकर रखते थे। जब 8–10 गाड़ियाँ इकट्ठा हो जाती थीं, तब किसी लोडर/छोटे ट्रक की व्यवस्था कर सीमावर्ती रास्तों से नेपाल ले जाकर कम दामों में बेच देते थे। इस तरीके से वे लोगों की पहचान से दूर रहकर जल्दी पैसा कमाना चाहते थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर टिकरी जंगल में छिपाकर रखी गयी 08 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गयीं। बरामदगी से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्तगण एक संगठित तरीके से लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ के दौरान विधि विरुद्ध किशोर ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 04.01.2026 को नंदनी नगर में चल रहे राष्ट्र कथा महोत्सव के दौरान उसने एक स्पेलेंडर प्लस मोटरसाइकिल अकेले चोरी की थी। चूंकि उस चोरी में राजा शामिल नहीं था, इसलिए उसने वह मोटरसाइकिल अगले दिन विवेक पुत्र विजय निषाद निवासी नैपुरिया को ₹2200 में बेच दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राजा निषाद पुत्र दीनानाथ निषाद नि0 नये पुरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. विधि विरूद्ध किशोर

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–34/26, धारा 317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 09 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विभव सिंह।
02. उ0नि0 पंकज यादव।
03. उ0नि0 संजीव सिंह।
04. हे0का0 अभिषेक सिंह।
05. हे0का0 नीरज सिंह।
06. हे0का0 अनुज तिवारी।
07. हे0का0 आनन्द सिंह।
08. का0 अनुज तिवारी।
09. का0 अतुल सिंह।
10. का0 अशोक कुमार राय।
11. का0 कमलेश यादव।
12. का0 अखिलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>अपराध गोष्ठी</u>
<u>दिनांक 07.02.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश–</u>

<u>अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध निस्तारण करने, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–</u>

गोण्डा। दिनांक 06.02.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन एवं अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद गोण्डा में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, संगठित एवं असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही करना रहा। सम्मेलन के प्रारम्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनकी विभागीय, प्रशासनिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में घटित प्रमुख अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी, महिला अपराधों, अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित अपराधों तथा निरोधात्मक कार्यवाहियों की तुलनात्मक मासिक एवं प्रगतिशील समीक्षा करते हुए अपराधों की प्रवृत्ति, अपराध घटित होने के कारणों, अपराध नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाहियों, थाना स्तर पर बरती जा रही कार्यशैली एवं उसमें अपेक्षित सुधार बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रमुख अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, घटनाओं के अनावरण, बरामदगी, चार्जशीट प्रेषण, महिला अपराधों में त्वरित अभियोग पंजीकरण, पीड़िताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार तथा महिला हेल्पडेस्क की सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पास्को अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में त्वरित विवेचना, मेडिकल परीक्षण, पीड़ित बालक/बालिकाओं के संरक्षण, साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन एवं न्यायालय में समय से आरोप पत्र प्रेषित करने, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में कानूनी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं समय से दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित विवेचनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए पुराने एवं गंभीर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीमें गठित कर निरंतर दबिश देने तथा गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत संगठित अपराधों में संलिप्त गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी व निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जनशांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध रासुका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर कठोर कार्यवाही करने, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु गुण्डा अधिनियम एवं जिला बदर की कार्यवाही प्रभावी ढंग से लागू करने, गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत गोवध एवं पशु तस्करी से संबंधित मामलों में सख्त कानूनी कार्यवाही, बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अवैध शस्त्रों की बरामदगी एवं उनके स्रोतों का पता लगाकर कठोर कार्यवाही करने, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री एवं भंडारण पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु सघन अभियान चलाने, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अवैध शराब के निर्माण, परिवहन

व बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अवैध विस्फोटक पदार्थों के भंडारण, उपयोग एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वर्षवार लंबित विवेचनाओं के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी थानों को लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने तथा दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक चोरी गए वाहनों की बरामदगी, वाहन चोर गिरोहों के अनावरण एवं अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण, कानून–व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा, विवेचनाओं की गुणवत्ता सुधार, समयबद्ध निस्तारण, जवाबदेही एवं अनुशासन के साथ कार्य करते हुए जनपद गोण्डा में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से कार्य करने के कड़े एवं स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा कवच मजबूत करने, और समाज में महिलाओं के प्रति अपराध रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरतने के साथ महिला पुलिस बीट द्वारा महिला सम्बन्धी प्रकरणों में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मिसिंग पर्सन के मामलों में त्वरित पंजीकरण, खोजबीन एवं समय से ट्रेसिंग, चाइनीज मांझे की बिक्री/भंडारण पर प्रभावी रोकथाम एवं कार्यवाही, यक्ष एप में सूचनाओं की शत–प्रतिशत एवं समयबद्ध फीडिंग तथा साइबर फ्रॉड की घटनाओं में त्वरित रिस्पांस, पीड़ितों को तत्काल सहायता एवं अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु भी कड़े निर्देश दिए गए। गोण्डा पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2026 से अबतक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 20 अभियुक्तों के विरुद्ध 05 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 03 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है । गैंगस्टर एक्ट के 01 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 52,42,735/– रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 23 अभियुक्तों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.02.2026</u>

<u>रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा "वामा वेलनेस कैम्प" के आयोजन–</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्राथमिकता देते हुए आज दिनांक 07.02.2026 को वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन एवं अपोलोमेडिक्स हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा परिसर में प्रातः 07:00 बजे से 13:00 बजे तक "वामा वेलनेस कैम्प" का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं आवश्यक जांच सुविधाएं सुलभ एवं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना रहा, जिससे वे अपने व्यस्त कार्यदायित्वों के बीच भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकें। कैम्प के दौरान अपोलोमेडिक्स हॉस्पिटल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं प्रशिक्षित पैरामेडिकल टीम द्वारा प्रतिभागियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। डायटीशियन द्वारा संतुलित आहार, वजन नियंत्रण, ड्यूटी के दौरान उचित खान–पान एवं जीवनशैली संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा हड्डी एवं मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं, कमर/गर्दन दर्द, लंबे समय तक ड्यूटी के कारण होने वाली शारीरिक परेशानियों के निवारण हेतु आवश्यक व्यायाम एवं सावधानियों की जानकारी दी गई। ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा नेत्र परीक्षण कर जरूरतमंदों को उचित परामर्श प्रदान किया गया, वहीं नर्सिंग स्टाफ द्वारा सभी जांच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त महिला चिकित्सक द्वारा उपस्थित पुलिस परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, नियमित जांच, एनीमिया की रोकथाम, जीवनशैली जनित बीमारियों से बचाव तथा मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष बल दिया गया। शिविर में रक्तचाप एवं ब्लड शुगर की जांच के साथ–साथ विभिन्न पैथोलॉजी जांचेंकृजैसे शुगर प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन, थायरॉइड प्रोफाइल आदिकृनिर्धारित रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गईं, जिससे अधिक से अधिक पुलिस कर्मी एवं उनके परिजन लाभान्वित हो सकें। उक्त वेलनेस कैम्प में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित हुए तथा उत्साहपूर्वक स्वास्थ्य परीक्षण एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। प्रतिभागियों द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी बताया गया। इस प्रकार के आयोजनों से पुलिस परिवार को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होने के साथ–साथ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है, जो बेहतर कार्यक्षमता एवं स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। जनपदीय पुलिस द्वारा भविष्य में भी पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु इस प्रकार के स्वास्थ्य, परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित कराए जाने के प्रयास किए जाते रहेंगे।

<u>इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, डब्ल्यू0सी0एस0ओ0 प्रभारी श्रीमती प्रतिभा सिंह सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>